(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
लुणेखान पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान, निवासी जसे का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		मोहम्मद पुत्र माधाखान जाति मुसलमान, निवासी जसे का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (04)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) **मुकदमा नम्बर** 189/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.06.2024	प्रार्थी अधिवक्ता श्री देवीलाल कुमावत द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की सयुंक्त खातेदारी एवं पुश्तैनी व पैतृक कब्जा काश्त का खेत मौजा गूंगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 787 रकवा 6.5640 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी का पर्चा लगान प्रार्थी के दादा माधा के नाम से जारी हुआ तथा माधा के फौत होने पर उनके विधिक वारिशान पुत्र मोहम्मद के नाम राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया गया। उक्त वादग्रस्त आराजी विप्रार्थी संख्या 1 को स्व0 माधा से पैतृक रूप से प्राप्त होने पर पैतृक सम्पति में प्रार्थी का भी हक हिस्सा निहित है। प्रार्थी का पैतृक सम्पति में हक हिस्सा निहित होने तथा मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। चूंकि पैतृक भूमि में उनके विधिक वारिशान का जन्मतः अधिकार निहित हो जाता है। वर्तमान में उक्त विवादित आराजी में विप्रार्थी संख्या 1 राजस्व रेकर्ड में दर्ज प्रविष्टियों का नाजायज फायदा उठाकर अपने हिस्से से अधिक भूमि का अजनवी क्रेताओं को बैचान करने पर आमादा है, जबकि पैतृक खातेदारी भूमि में ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार नहीं है। यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो इससे प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थी के पक्ष में होने से प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थी अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी विवादित आराजी विप्रार्थी संख्या 1 को पैतृक रूप से प्राप्त होने पर प्रार्थी का हक हिस्सा निहित है तथा मौके पर अपने हक हिस्सा में काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा पैतृक आराजी में प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखलदांजी की जाकर अपने हिस्से से अधिक भूमि का बैचान किया जाता है तो इससे [illegible] इंकार नहीं किया जा सकता। साथ ही मौके पर तनाव व विवाद [illegible] उत्पन्न होने की आंशका रहेगी। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना [illegible] तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी [illegible] आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा गूंगा, तहसील शिव के खसरा नम्बर [illegible]7 रकबा 6.5640 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थी के हक हिस्सा तक राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है। पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 15.7.24 को पेश हो। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	7027 to 7030 24.6.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:05:01 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
09.06.25	पत्रावली पेश। वकुलाल उपस्थित। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी मांगा 1 व 2 के जवाब व शेष की तामिली हेतु दिनांक 20.06.25 को पेश हो।	
20.6.25	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी/ विप्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इल्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 02.07.25 को पेश हो।	
02.07.25	पत्रावली पेश। वकुलाल उपस्थित। चूंकि आवेदन का मूल वाद खारिज किया जा चुका है। अतः मूल वाद के खारिज होने पर उक्त आवेदन का कोई औचित्य नहीं होने तथा सारहीन होने से आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2025.07.24 12:05:01 IST
Reason: SelfAttested